

SCMS
2020/00092
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. श्री. बाललाल

हलका श्री. का. व. ग. ल. सि. ह.

पुत्र श्री. मंगी लाल जाति इ. ज.

निवासी श्री. का. व. ग. ल. सि. ह.

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु. नं. 89 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका <u>श्री. का. व. ग. ल. सि. ह.</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा <u>श्री. का. व. ग. ल. सि. ह.</u> के खसरा नंबर <u>27/3</u> रकबा <u>1200 क. फी.</u> किस्म भूमि <u>श्री. का. व. ग. ल. सि. ह.</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावें। पत्रावली दिनांक <u>11-01-2021</u> को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	<p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u> जिला-बाड़मेर</p>	गैरकान
18/01/2021	<p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u> जिला-बाड़मेर</p>	गैरकान

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से उन्हे वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि. - 10-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीढालीन अधिकारी भाग शुधुटी पर सिवाना पद्वारे से पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को जवाब हेतु अन्तिम भवत दिनांक पर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को बार-बार जवाब हेतु भवत दिनांक के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्राप्त नहीं किने गैर सामल को अतिक्रम मानते हुए पत्रावली फेल ल सुधार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फेल ल सुधार है कर इखिल इफत है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर